**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2025/50** **दायरा दिनांक : 07.03.2025**

**उनवान**

1. कन्हींराम पुत्र रत्तीराम, जाति गूर्जर, निवासी टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
2. प्रताप पुत्र रत्तीराम, जाति गूर्जर, निवासी टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

**बनाम**

1. बाला पुत्र पूरा, जाति गूर्जर, निवासी टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
2. रामा पुत्र पूरा, जाति गूर्जर, निवासी टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0
3. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री उम्मेद सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री दिव्या सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 13.05.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 289/2017 निर्णय दिनांक 30.05.2024 संशोधित आदेश दिनांक 23.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0 की खाता सं. नई 61 पुरानी 37 की कुल किता 14 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रार्थीगण एवं बहने धापू बाई व कजोड बाई के खाते दर्ज है। जिसे हम प्रार्थीगण दोनों भाई काश्त करते हैं। ग्राम टोलखेडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0 में खाता संख्या नई 90 पुरानी 82 की कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा आराजी अप्रार्थी के पिता रत्तीराम के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2024 संशोधित आदेश दिनांक 23.07.2024 से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया है कि रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र पर यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया है कि उसके अपने खेत व कुऐ पर जाने के लिए अपीलांट के खाते की जमीन के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कानून के विरूद्ध है, प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया है कि निर्णय पारित करने से पूर्व उसको रेस्पोडेन्ट की दूरी व सुविधा का ख्याल नहीं रखकर अन्य उपलब्ध रास्ते से रेस्पोडेन्ट को जाने की सुविधा उपलब्ध है तो रेस्पोडेन्ट को अपने खेत की दूरी के रास्ते से अपीलान्ट के खेत में होकर जाने के रास्ते की सुविधा नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो प्रार्थीगण के शपथ पत्र बयान कलमबद्ध किये हैं, ना ही अपीलांट को बचाव में अपने व अपने गवाहान के शपथ पत्र पर बयान कराने का अवसर दिया है अतः निर्णय नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है जो निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण की काश्त आराजी खसरा नं. 167, 168, 169, 170, 171 पर जाने हेतु अपीलान्ट की काश्त आराजी खसरा नं. 162, 163, 164 के मध्य होकर रास्ते की मांग की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मांग को उचित मानते हुए आदेश फरमाया है जो कि कानून सम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की काश्त आराजी खसरा नं. 162, 163, 164 में दिये गये रास्ते निर्णय को अपास्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विश्वास करके कानूनी गलती की है, पटवारी ने मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस भी नहीं दिया है, ना ही अपीलान्ट की मौजूदगी में मौका देखा गया अन्यथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताते। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये थी जो रिपोर्ट केवल पटवारी द्वारा तैयार की गई है ऐसी रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। पटवारी ने रिपोर्ट केवल रेस्पोडेन्ट के साथ मिलीभगत व षड्यंत्र करके तैयार की है क्योंकि मौका रिपोर्ट के तैयार करते समय पटवारी ने विवादग्रस्त रास्ते के आस पास काश्तकार जिनकी जमीन स्थित है उनसे भी रास्ते के बारे में पूछताछ नहीं की है यदि पूछताछ की होती तो पटवारी रिपोर्ट पर काश्तकारों के हस्ताक्षर होते। ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करके निर्णय पारित करना कानून के विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट ने उनको अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर अपीलान्ट की आराजी को बर्बाद करने के लिये यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि वह अपने कुऐ पर पंहुचने के लिये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट के खेतों की आराजी में होकर आते–जाते हैं लेकिन उन्होंने कुऐ का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के निर्णय में प्रक्रिया व कानून सम्बन्धी बहुत गलतियां की है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र पुनः तहकीकात का मोहताज है। निर्णय दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया लेकिन चूंकि निर्णय सही नहीं था इस कारण अपीलान्ट ने उसकी अपील के लिये कोई प्रयास नहीं किया लेकिन इसी निर्णय के बाद दिनांक 23.07.2024 को संशोधित निर्णय पारित किया जो कानून गलत था इस निर्णय को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना था जो नहीं दिया गया। उक्त निर्णय कानून गलत है। संशोधित निर्णय दिनांक 23.07.2024 का है अतः निर्णय की नकल प्राप्त करने के दिन से मुजरा लेने से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 30.05.2024 व संशोधित निर्णय दिनांक 23.07.2024 का निर्णय अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को पुर्ण सुनवाई करने व साक्ष्य का मौका देकर अपील अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड फरमाई जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा हमने पेश किया। प्रार्थी रेस्पोडेंट ने खसरा नं. 161, 162 में से रास्ते हेतु धारा 251 (क) का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। मौका रिपोर्ट में सुविधाजनक रास्ता होना अंकित किया है। खसरा नं. 178 में रास्ता है जिसमें से होकर खसरा नं. 167, 168 व 169 की आराजी में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है केवल खसरा नं. 162 में से सीधे सुविधाजन रास्ता चाहा गया है। खसरा नं. 230 व 166 भी रास्ता दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, झालरापाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 पूर्णतः विधि सम्मत, तथ्यानुकूल एवं न्यायोचित है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि, अवैधता अथवा मनमानी नहीं है, इसलिए अपील निरस्त होने योग्य है। यह निर्विवाद है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम टोलखेड़ा स्थित है तथा उनकी भूमि तक पहुँचने का मार्ग अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नं. 162, 163 एवं 164 के मध्य से होकर अप्रार्थीगण की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी खसरा नं. 167, 168, 169, 170, एवं 171 तक जाता है। उक्त रास्ता कोई नवीन मार्ग नहीं, बल्कि लंबे समय से प्रचलित उपयोग में लिया जाता रहा आवश्यक कृषि मार्ग है, जिसका उपयोग हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर–टॉली एवं कृषि उपज लाने–ले जाने हेतु किया जाता रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर दिए जाने से अप्रार्थीगण की कृषि गतिविधियाँ बाधित हुई, जिससे उन्हें गंभीर क्षति हुई। उपखण्ड अधिकारी ने समस्त अभिलेखों, पक्षकारों के कथनों एवं वस्तुस्थिति का परीक्षण कर यह पाया कि विवादित रास्ता आवश्यक एवं प्रचलित है तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि तक पहुँच के लिए उसका खुला रहना अनिवार्य है। उपखण्ड अधिकारी ने पूर्ण संतुलन एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया तथा आदेशित किया कि अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि तक आने–जाने एवं कृषि उपयोग हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाए। साथ ही, अपीलार्थीगण की भूमि के उपयोग के बदले डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि जमा कराने का निर्देश भी दिया गया। इस प्रकार आदेश में एक ओर अप्रार्थीगण के वैध अधिकारों की रक्षा की गई है, वहीं दूसरी ओर अपीलार्थीगण के हितों का भी समुचित संरक्षण किया गया है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि रास्ता अस्तित्व में नहीं था या नया रास्ता बनाया जा रहा है, तथ्यहीन एवं अभिलेख–विरुद्ध है। जब रास्ते का लंबे समय से उपयोग सिद्ध है और उसकी आवश्यकता प्रत्यक्ष है, तब ऐसे तर्क केवल आदेश को विलंबित करने हेतु उठाए गए हैं। धारा 251 का उद्देश्य ही ऐसे मामलों में आवश्यक रास्ता उपलब्ध कराना है जहाँ खातेदार की भूमि तक पहुँच बाधित हो रही हो। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त धारा का प्रयोग पूर्णरूप से वैध एवं उचित है। आदेश साक्ष्य और अभिलेखों पर आधारित है, आदेश मनमाना नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से खसरा संख्याओं का उल्लेख है, मार्ग की दिशा और उपयोग का उल्लेख है, तथा रास्ते की चौड़ाई भी निश्चित की गई है। यह दर्शाता है कि आदेश सोच–विचार, अभिलेखीय परीक्षण और स्थल–परिस्थिति के आधार पर पारित हुआ। आदेश संतुलित है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर प्रार्थीगण को आवश्यक रास्ता दिया, तो दूसरी ओर प्रतिवादीगण के हितों की रक्षा हेतु मुआवजा जमा कराने का निर्देश दिया। इस प्रकार आदेश एकतरफा नहीं बल्कि समन्वित, संतुलित और न्यायपूर्ण है। 12 फीट रास्ता कृषि उपयोग की दृष्टि से युक्तिसंगत है। प्रार्थीगण ने स्पष्ट किया कि रास्ता हल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर–टॉली और कृषि उपज के आवागमन हेतु है। ऐसे में 12 फीट चौड़ाई न तो अत्यधिक है और न ही अनुचित बल्कि खेती–किसानी के व्यवहारिक उपयोग हेतु यह न्यूनतम पर्याप्त चौड़ाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी व्यावहारिक आवश्यकता को स्वीकार किया। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक आधारों के आलोक में यह विनम्र निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतः निराधार एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज की जाए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत बनाए रखा जाए।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम टोलखेडा, तहसील झालरापाटन की खाता संख्या नयी 61 पुरानी 37 की कुल किता 14 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं बहनों के खाते में दर्ज है। ग्राम टोलखेडा, तहसील झालरापाटन में खाता संख्या नई 90 पुरानी 82 की 8 किता की 11 बीघा 3 बिस्वा आराजी अप्रार्थीगण के पिता रत्तीराम पुत्र श्री औंकार के खाते में दर्ज है। रत्तीराम की मृत्यु हो चुकी है जिसका फौती इंतकाल अभी नहीं खुला है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 167, 168 169, 170, 171 व उस पर स्थित कुंए पर जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी 162 व खसरा नं. 163, 164 के बीच में होकर जाता है। यह रास्ता 12 फुट चौडा है। इसी रास्ते के सहारे–सहारे पानी की सरकारी नहर का धौरा है वह पानी इसी धौरे से हमारी जमीन मे जाता है और इससे हम अपनी आराजी को पीवत करते है। अप्रार्थीगण ने हमारी उक्त आराजी पर आने व जाने का रास्ता अर्सा 3 माह से बंद कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी पर जाने का जो रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 162, 163 व 164 के बीच में है, वह करीब 12 फुट का चौडा रास्ता खुलासा करवाया जाये एवं जो भी अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते में निकले उसका मुआवजा तय कराया जावे, प्रार्थीगण जमा कराने का तैयार है।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नं. 162, 163, 164 के बीच में से होकर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। समस्त ग्राम वारिसानों के लिए आने जाने तथा कृषि यंत्रों उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अलग से सनातन से रास्ता बना हुआ है, जिसमें से होकर करीब 35 काश्तकार अपने खेतो खलिहानों पर आते जाते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का असत्य आधारों पर होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार झालरापाटन के पत्रांक 219 दिनांक 18.04.2024 से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि से लगा हुआ खसरा नं. 116, 117 गैर मुमकिन रास्ता है, खसरा नं. 166 निजी खातेदारी भूमि में है जिसके खातेदार जतनबाई, हरिसिंह है एवं खसरा नं. 175 गैर मुमकिन रास्ता खाता सरकार है। इसके अतिरिक्त एक अन्य रास्ता जो सिवायचक खाता सरकार मे दर्ज है जो आबादी भूमि खसरा नं. 232 से लगते हुए निकल रहा है जिसका खसरा नं. 230 है, जो अप्रार्थी के खसरा नं. 161, 162,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

162, 165 से लगा हुआ है। मौके पर प्रार्थी की भूमि पर पंहुचने हेतु निकतटम रास्ता खसरा नं. 161, 162 के मध्य की मेर से है, जिसमें अप्रार्थी की खसरा नं. 161 की 0.007 हेक्टर भूमि रास्ते में उपयोग में आयेगी। प्रार्थीगणों द्वारा इसी रास्ते का उपयोग करने की पुष्टि मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2024 से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के पत्र दिनांक 19.10.2020 की पालना में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.01.2021 से मौका रिपोर्ट पेश कर मौका रिपोर्ट के बिन्दु सं. 1 में अंकित किया है कि खातेदार बाला पुत्र पूरा द्वारा रास्ता चाहा गया है जो कि सुविधाजनक उपयोग हेतु है। बिन्दु सं. 3 में तहसीलदार द्वारा अंकित किया है कि ग्राम टोलखेड़ा आबादी से लगते हुए खसरा नं. 166 गैर मुमकिन रास्ता जो कि खातेदार पूरीलाल वगैरहा के खाते में दर्ज रेकार्ड है तथा खसरा नं. 178 गैर मुमकिन रास्ता सरकारी खाते दर्ज रिकार्ड है, जो कि खातेदार बाला पिसरान पूरा के खेत तक लगा हुआ है। उक्त मौका रिपोर्ट सलंग्न नक्शे के अवलोकन अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट की आराजी खसरा नं. 167, 168, 169, 170, 171 तक पहुंचने हेतु खसरा नं. 166 एवं 178 किस्म गैर मुमकिन रास्ते से पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 162 पर से जाने हेतु चाहा गया रास्ता सुविधाजन उपयोग हेतु है परन्तु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं होने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.09.2023 से तहसीलदार झालरापाटन से स्वयं मौका एवं रेकार्ड से पुनः जांच कर रिपोर्ट चाही गई। मौका रिपोर्ट अप्राप्त रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को पुनः दिनांक 14.03.2024 को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार झालरापाटन ने अपने पत्र दिनांक 18.04.2024 से पटवारी एवं आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 05.04.2024 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट एवं नक्शा सलंग्न कर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार के पत्र दिनांक 18.04.2024 एवं पत्र के साथ सलंग्न मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा दिनांक 05.04.2024 की फोटो प्रति सलंग्न है। मूल पत्र एवं मौका रिपोर्ट का पत्रावली में अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मौका एवं रेकार्ड से पुनः जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु मौका रिपोर्ट पटवारी एवं आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर तहसीलदार झालरापाटन को प्रेषित की गई जिसे तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.04.2024 से उपखण्ड अधिकारी, झालावाड को प्रेषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई। इस मौका रिपोर्ट पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध उपरोक्त दोनों मौका रिपोर्ट में विरोधाभासी तथ्य है। दूसरी मौका रिपोर्ट की मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। दूसरी मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के बावजूद तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दूसरी मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 संशोधित आदेश दिनांक 23.07.2024 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार झालरापाटन से मौका एवं रिकार्ड की स्थिति के अनुसार जांच करवा कर स्पष्ट मौका रिपोर्ट जिसमें वैकल्पिक रास्ते की स्थिति एवं चाहा गया रास्ता सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यकता है, इन बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करवाते हुए पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.06.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा